

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/ 115 दिनांक 25/3/25

प्रधानाचार्य,
स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट(SMTI) जयपुर।

विषय : नर्स प्रेक्टिशनरी मिडवाइफरी (NPM) के 2nd बैच के प्रशिक्षणार्थी/कार्मिक निरमा रावत को प्रशिक्षण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निरमा रावत पुत्री श्री रूपसिंह (नर्सिंग ऑफिसर) का नर्स मिडवाइफरी एजुकेटर्स (NPM) द्वितीय बैच के प्रशिक्षण हेतु सीफू द्वारा चयन किया गया था।

निरमा रावत (नर्सिंग ऑफिसर) द्वारा पारिवारिक समस्याओं के कारण इनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र पर प्रशिक्षण से मुक्त किया जाता है, साथ ही कार्मिका अपने पूर्ववत कार्यस्थल पर कार्यग्रहण कर कार्य करती रहेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।
दिनांक

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. मिशन निदेशक एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
02. निदेशक सीफू।
03. निदेशक आर.सी.एच।
04. संयुक्त निदेशक (ट्रेनिंग)।
05. एस.पी.एम, एनएचएम।
06. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (मेटर्नल हेल्थ)।
07. अधीक्षक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर राज0 को भेजकर लेख है कि उक्त कर्मचारी का प्रशिक्षण आदेश निरस्त कर दिया गया है, अतः उक्त कर्मचारी को कार्यग्रहण करवाकर निदेशालय को सूचित करे।
08. राज्य प्रमुख, UNFPA, Jhpiego Raj.
09. संबंधित कर्मचारी

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।